न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला
बीरबल v/s कालू वगैरा (राज) मु० नं० 43/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	30.05.18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत अटल सेवा केन्द्र, पुजारी का बास में पेश हुई। वकील वादी उप०। वकीलवादी ने मुख्य परीक्षण बाबत PW-1 ता PW-3 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।	
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, मुख्य परीक्षण बाबत पेश किये गये शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया। मजमे आम में विवादित भूमि बाबत पूछताछ की गई एवं फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाई गई। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट मजमे आम भगवाना पुत्र चतरा के चार पुत्र रमेश, जयराम, कालू व वादी बीरबल हुए तथा एक पुत्री मन्नी है जिनमे रमेश नाऔलाद फौत हो गया जयराम अविवाहित फौत हो गया तथा कालूराम करीब 20 वर्ष पहले घर से लापता हो गया था जिसके बारे मे आदिनांक तक कुछ भी नहीं सुना गया है।	
	उक्त तथ्यों के आलोक में वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती	

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</th><th>नम्बर व ता
अहकाम
हुक्म की ता
में जारी</th></tr>
<tr><td></td><td>है कि :-

<u>आदेश</u>

तन ग्राम कुलथाना प० ह० पुजारीकाबास तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 33, 34 रकबा 2.82 है० का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त ख०नं० से प्रतिवादी सं० 1 ता 2 व मृतक भगवाना पुत्र चतरा का नाम हजफ किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हो तथा तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला</td><td></td></tr>
</table>

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला,(सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारीः– श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान

बीरबल ✗ बनाम ① कालू पुत्र भगवाना पौत्र चतरा ✗

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 43/2017

निर्णय दिनांक :– 30/05/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी ...... मिनजानिब मुददई रूबरू श्री भजनाराम एड० ...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – (पुजारी) का ग्राम तहसील खण्डेला

तन ग्राम ढूंढलाना 40.60 ... ख.नं. 33, 34 रकबा 2.82 है० का आवंटित कृषि भूमि ख.नं. ... घोषित किया जाता है तथा वादी को खातेदार काश्तकार ... व मृतक भगवाना उक्त ख.नं. से प्रतिवादी सं. 1 ता 2 ... किया जाता है। उक्त ... पुत्र चतरा का नाम दर्ज ... हो। राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद हो।

खर्चा पक्षकारान्त अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(भागीरथ शाख)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला(सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

* पुत्र भगवाना पौत्र चतरा जाति बड़वा निवासी कुलथाना तन पुजारीकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— (वादी)

बनाम

* जाति बड़वा निवासी कुलथाना तन पुजारीकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

(2) मन्नी पुत्री भगवाना पत्नी रामलाल जाति बड़वा निवासी कुलथाना तन पुजारीकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) हाल निवासी पुआरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

(3) भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

— (प्रतिवादीगण)

भागीरथ शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner